

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./19/2025 जी०सी०एम०एस० 2025/45

1. गोपाल पुत्र भाणू जाति बैरवा निवासी सोलकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील-भिनाय
जिला-अजमेर।

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-28.03.2025

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री शिवकुमार जोशी

2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा सोलखुर्द पटवार क्षेत्र सोलखुर्द भू०अ०नि० क्षेत्र भिनाय के खाता सं० 183 में दर्ज खसरा सं. 1404/332 रकबा 0.05, खसरा सं. 289 रकबा 0.25, खसरा सं. 331 रकबा 0.07, खसरा सं. 336 रकबा 0.40 हैक्ट कुल किता 04 कुल रकबा 0.77 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस वास्ते जवाब तलब किया गया।

पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश नहीं करते हुए, प्रश्नगत आराजीयात को प्रार्थी खातेदारी आराजीयात बताकर प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने की टिप्पणी पत्रावली आदेशिका पर अंकित की। पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा०भू०अधि० स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम सोलखुर्द के खाता संख्या 183 संवत 2071-2074(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा सोलखुर्द पटवार क्षेत्र सोलखुर्द भू०अ०नि० क्षेत्र भिनाय के खाता सं० 183 में दर्ज खसरा सं. 1404/332 रकबा 0.05, खसरा सं. 289 रकबा 0.25, खसरा सं. 331 रकबा 0.07, खसरा सं. 336 रकबा 0.40 हैक्ट कुल किता 04 कुल रकबा 0.77 हैक्ट हेतु नायब तहसीलदार भिनाय को 500/- रु(पांच सौ रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ोसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(5)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)